



Agriculture University, Jodhpur

Jodhpur – 342304 (Rajasthan)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर- 342304 (राजस्थान)

क्रमांक 2 एफ () कृविवि/जोध/स्थापना/2026/36-45


दिनांक 10/04/2026

आदेश

महिलाओं का कार्यालय पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 की धारा 4 के प्रावधान अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है—

क्र. सं.	नाम	विवरण	मोबाईल नम्बर	ई-मेल आई.डी.	कार्यालय का पता
1.	नलिनी रामावत, विशेषाधिकारी, डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोधपुर	अध्यक्ष	9999186599	naleeniramawat@gmail.com	College of Dairy & Food Technology, Jodhpur
2.	डॉ. मनोज कुमार, प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ, कृषि वि.वि., जोधपुर	सदस्य	7568576441	mkagro86@gmail.com	UAO, AU, Jodhpur
3.	संगीता कुमारी, परियोजना प्रभारी, UNNATI NGO	सदस्य-प्रतिनिधि गैर शासकीय संस्थान	8809898290	sangita@unnati.org	650, Radhakrishnanpuram, Pal-Chopasni bypass link road, near lehriya resort, Jodhpur
4.	Er. संतोष चौधरी, भू-सम्पदा अधिकारी, कृषि वि. वि., जोधपुर	सदस्य	9057280325	eoaujodhpur@gmail.com	Estate Office, AU, Jodhpur
5.	डॉ प्रियंका स्वामी, सहायक आचार्य, कृषि वि.वि., जोधपुर	सदस्य सचिव	8476975453	priyankamah30@gmail.com	UAO, AU, Jodhpur

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 वर्ष का होगा।
2. स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिए मानदेय/भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार देय होंगे।
3. अध्यक्ष एवं मनोनित सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरुद्ध एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4(5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अन्तर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जायेगा।


समदर सिंह भाटी, RAS
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, कुलगुरु महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. समिति सदस्य।
3. वेबसाईट इन्चार्ज, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त ICC आदेश वेबसाईट पर अद्यतन करावे।
4. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।


कुलसचिव